न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/199

दायरा तिथि : 06.06.2022

आदेश तिथि: 27-03-2023

वादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अशोक कुमार पुत्र जुहारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
2. कन्याकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
3. कमलाकुंवर पत्नी नरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
4. जगदीशसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
5. जुहारसिंह पुत्र भबूतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
6. दिनेशसिंह पुत्र जुहारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
7. प्रतापसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
8. पुष्पाकंवर पत्नी शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
9. भूमिका पत्नी प्रभुलाल जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
10. भंवरसिह पुत्र वरदीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
11. मदनसिंह पुत्र वगतावरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
12. रूपसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
13. ललिताकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
14. लालसिंह पुत्र लुम्बसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
15. लीलाकंवर पत्नी मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
16. विरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
17. संतोषकंवर पत्नी भरतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
18. संतोषकंवर पत्नी अरविन्दसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव
19. समस्त मेगवाल समाज ग्राम शिवतलाव मुखियान सर्व नेमा राम पुत्र मगाराम कीकाराम पुत्र मानाजी, भीमाराम पुत्र केनाराम तमाम जाति मेगवाल निवासी शिवतलाव

दिनांक : 27-03-2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम शिवतलाव में स्थित भूमि खसरा नंबर 473 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदारो द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्लौट काट कर मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड व अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित तथा अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 व व 20 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी की ओर से वकालतनामे पेश किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 9 की ओर से आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित द्वारा अण्डरटेकिग लिया गया। प्रकरण को अप्रार्थीगण द्वारा कंटेस्ट करने से आगे की कार्यवाही वाद के बतौर किये जाने का निर्णय लिया गया। अप्रार्थी संख्या 5, 15 16, 17, 18 बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 06.07.2022 से इन अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 व 20 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दिनांक 30.11.2022 को जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये वादी भूमिधारी तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया । अपने जवाबदावा में अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न उजर लिये गये।

1. कि वादग्रस्त भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 ग धारा 31 के अनुसार एक खातेदार आसामी को अपनी धारित भूमि के एकनिश्चित क्षेत्र में अपने खुद के रहवास, कृषि उपज के भण्डारण हेतु भवन निर्माण आदि के अधिकार प्राप्त है। जिससे प्रकरण में विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
2. कि हालांकि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय भूखण्ड काटकर गैर कृषि कार्य में उपयोग लेने का वैसे तो खातेदार आसामी को अधिकार प्राप्त नही है। लेकिन वर्णित भूमि खसरा नंबर 473 रकबा 0.5500 हैक्टर के मूल खातेदार जुहारसिंह पुत्र भबूतसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन तो नहीं करवाया लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर के

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/199

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम अशोककुमार वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अनसुार कृषि भूखण्डों की रजिस्ट्रीयां गैरसायलान के नाम करवाई गई उस समय भूमिधारी की हैसियत से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रार्थी तहसीलदार बाली ने ही सभी रजिस्ट्रीयां की है और खरीददार सभी गांव शिवतलाव के ज्यादातार भूमिहीन काश्तकार है या कृषि कर्मकार की परिभाषा में आते है एवं कुछ खरीददार जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है वह दस्तकार की परिभाषा में आते हैं और ऐसे आसामी को अपने रहवास हेतु एंव अपने मवेशी के लिये बाडा व छप्पर बनाने का सरकारी जमीन पर भी अधिकार धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया गया है। इस प्रकरण मे तो एसे कृषक कर्मचारी व दस्तकारों ने पैसे खर्च कर अपने रहवास हेतु एवं अपने मवेशियों के भूसा चारा कृषि औजार रखने हेतु बाडे के रूप में उपयोग में लेने हेतु कृषि भूखण्ड खरीदे है। इस प्रकार गैर सायलन द्वारा खरीदे गये कृषि भूखण्डों को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है।

3. कि गैरसायलान की तरफ से जवाब के पद संख्या तीन में विस्तृत विवरण दिया जाकर वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी में दर्ज कृषि भूखण्ड को उपयोग व उपभोग में लेने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि के भूखण्ड को उपयोग में लेकर कोई हानी पद कृत्य नहीं किया है और न ही अपने कृषि भूखण्ड का दुरूपयोग किया है। पटवारी हल्का शिवतलाव ने गांव में राजनैतिक द्वेष भावना से प्रकरण बनाकर तहसीलदार जी बाली को भेजा और उन्होनें बिना जांच किये उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश किया जो काबिले खारिज है।

4. कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में 1992 में संशोधन के बाद छोटे छोटे टुकडों मे विक्रय करने को विधिमान्य माना है। ऐसी स्थिति में उन छोटे टुकडों को बेचान करने पर खरीददार कृषक कर्मकारों व दस्तकारों ने कृषि भूखण्ड खरीद किये और उसमें अपने रहवास व मवेशियों के चारा आदि इकटठा करने के लिये निर्माण कार्य किया गया। जो धारा 31 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उनको करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार गैरसायलान ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की किसी शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड व अप्रार्थी संख्या 19 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित को जवावदावा प्रस्तुती हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर सीपीसी के प्रोविजों अनुसार इनका जवाबदावा का अवसर बंद किया जाता है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 व 20 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने अपनी दलीलों में यह जरूर व्यक्त किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 ग धारा 31 के अनुसार एक खातेदार आसामी को अपनी धारित भूमि के एकनिश्चित क्षेत्र में अपने खुद के रहवास, कृषि उपज के भण्डारण हेतु भवन निर्माण आदि के अधिकार प्राप्त है परंतु राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 के ऐसे किसी प्रावधान का कोई उद्धहरण नहीं पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतिपादित हो कि बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का मनचाहा उपयोग कर सके। वर्णित भूमि कृषि भूमि है इसलिये तहसीलदार बाली के अनुरोध अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम शिवतलाव में स्थित भूमि खसरा नंबर 473 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु पटवारी हल्का, शिवतलाव की मौका फर्द दिनांक 20.05.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर संयुक्त खातेदारो द्वारा **प्लॉट** काटे गये है तथा कुछ जगहों पर निर्माण कार्य भी किया गया है तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदारो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/199

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम अशोककुमार वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः वाद वादी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ग्राम शिवतलाव में स्थित भूमि खसरा नंबर 473 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म चाही प्रथम को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री पायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 27-03-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner